मुकदमा

बनाम

किस्म मुकदमा...नं. ....सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
5-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित I.P.O. के अन्य कार्यों में व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-3-18 को पेश हो।
6-3-18	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उप० नही हुआ। बार² आवाज दिलवाई गई जिसके बावजूद भी कोई उप० नही हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है इसलिए दावे के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण को दावे के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि ख०नं. 810 ग्राम [illegible] के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थी के हिस्से मे दखल अन्दाजी नही करे। न्यायालय द्वारा पारित अन्तिरम आदेश दिनांक 7-7-10 दावे के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	ज०। (जगदीश प्रसाद गौड़)